कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0)
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

.....9 / MGNREGA/ZP/2023-24 सूरजपुर दिनांक 15/05 /2023

1. संजय कुमार साह
   तकनीकी समन्वयक (मनरेगा)
2. अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.सेवा)
   उप संभाग भैयाथान
3. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)
   जनपद पंचायत, भैयाथान
   जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– प्राप्त शिकायत का जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– श्री बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत पत्र।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर महात्मा गांधी नरेगा के तहत् स्वीकृत कार्यों में निर्माण एजेन्सी द्वारा कुछ मजदूरों के साथ अवैध मेल मिलाप कर जाबकॉर्ड को ठेका में चलाये जाने, रोजगार सहायक से मिलीभगत से फर्जी मस्टरोल बनाकर फर्जी मजदूरों का नाम भरकर राशि का बंदरबाट करने एवं क्रमांक 1 से 7 तक अलग–अलग शिकायत प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित कि जा रही है।

अतः उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत का जांच कर बिन्दूवार स्पष्ट जांच प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अवलोकन कराते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर

पृष्ठा. क्रमांक / ..690.. / MGNREGA/ZP/2023-24 सूरजपुर दिनांक 15/05 /2023

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर

सत्य प्रतिलिपि
Dy. Director Panchayat

Scanned with CamScanner

Shot on OnePlus
Surajpur | 2025.05.29 16:04

जांच प्रतिवेदन

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वीकृत कार्यो में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा कुछ मजदुरो के साथ अवैध मेल–मिलाप कर जॉब कार्ड को ठेका में चलाये जाने, रोजगार सहायक से मिलीभगत से फर्जी मस्टर रोल बनाकर फर्जी मजदूरों का नाम भरकर राशि का बन्दरबांट करने एवं क्रमांक 01 से 07 अलग–अलग शिकायत प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांज किये जाने हेतु कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 689 दिनांक 15.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में निम्नांनुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन अग्रीम कार्यावाही हेतु सादर प्रस्तुत है:–

1. मियापारा नाली निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा 1,00,000/– (एक लाख रुपये) निकाल चुके है और निर्माण नही हुआ है, जिसका स्थल पर जाकर स्वयं के द्वारा सरपंच, सचिव, कार्यक्रम अधिकारी एवं मियापारा के ग्रामवासियों के समक्ष जांच किया गया है। जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया है कि नाली निर्माण कार्य शिकायत होने के बाद जल्दबाजी में बनवाया गया है। हमारे द्वारा जब निर्माण एजेंसी सरपंच एवं सचिव से पूछा गया तो उनके द्वारा कबूल किया गया कि राशि रुपये 75000/– ग्राम पंचायत के 15वें वित्त से निकाला गया है। प्राक्कलन अनुसार जांच करने पर पता चला कि नाली निर्माण 72 मिटर लम्बाई एवं आर सी सी ढलाई वाला नाली बनाया जाना था परन्तु स्थल पर 2 मिटर कि लम्बाई में आर सी सी ढलाई एवं 30 मिटर लम्बाई में ईट का जोडाई करके नाली बनाया गया है। एवं ईट जोडाई के उपर 1 इंच मोटा गिट्टी का ढलाई किया गया है। जो कि मानक प्राक्कल के अनुसार गलत है। साथ हि प्राक्कलन अनुसार नाली कि चौडाई एवं गहराई में भी भिन्नता पाया गया है। स्थल पर बने नाली निर्माण का यदि मुल्यांकन किया जाये तो अधिकत्तम मुल्यांकित राशि 16000 से 18000 रूपसे तक हि आयेगा जबकि निर्माण ऐजेन्सी द्वारा बिना मुल्यांकन कराये 75 हजार रूपये का आहरण कर लिया गया है। साथ हि. यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत के 15 वित्त के अन्य कार्यो में भी बिना मुल्यांकन के राशि का आहरण किया गया है।
2. जित राम कुप निर्माण कार्य सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा पैसा आहरण कर कर लिया गया है। और निर्माण नहीं हुआ है। उक्त शिकायत के संबंध में जांच किया गया जिसमें शिकायत सत्य पाया गया है।
   - कुप निर्माण कार्य के हितग्राही द्वारा बयान दिया गया है। कि यह कुप 7 वर्ष पूर्व स्वयं के द्वारा बनाया गया है। उसी पुराने कुप के उपर 1 मिटर जगत का कार्य कराकर मजदूरी में 138286.00 रूपये एवं सामग्री में 279693.00 तथा कुल 417979.00 का मुल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा करा कर एवं अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन करा कर कुल 417886.00 रूपये का भुगतान कराया गया है।
   - जांच में पाया गया कि रोजगार सहायक, सरपंच एवं सचिव के द्वारा सात सप्ताह का फर्जी मस्टररोल तैयार कर तकनीकी सहायक से मुल्यांकन कराकर फर्जी भुगतान कराया गया है।
   - मास्टररोल का भुगतान मुल्यांकन पश्चात कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा किया गया है।

सत्य प्रतिलिपि

Dy. Director Panchayat

Shot on OnePlus
Surajpur | 2025.05.29 16:04

(3)

- कार्य का जीओ टैंटिग फर्जी तरीके से किसी अन्य कुप का किया गया हैं। (फोटो संलग्न हैं।)
- पूर्णता प्रमाण पत्र में लगा फोटो एवं जीओ टैकिंग का फोटो अलग–अलग है।
- रोजगार सहायक के द्वारा किये गए जीयो टैकिंग ; का फोटो फर्जी तरीके से अन्यत्र जगह के कुप का लिया गया है।
- पूर्णता प्रमाण पत्र में सरपंच, सचिव, तकनिकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग भैयाथान, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भैयाथान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

3. **बाजार का ठेका का पैसा गबन के संबंध में**– सरपंच सचिव से पुछा गया पर इसके संबंध में ना ही कुछ बताया गया और ना ही इसके संबंध में कोई दस्तावेज दिखाया गया।

04. **शौचालय निर्माण सरपंच सचिव पुराने शौचालय को नये शौचालय के रूप में राशि का आहरण कर लिया गया है**– इसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेश का नाम नही दिया गया है। ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन एवं महात्मा गांधी नरेगा दोनो योजनाओं से शौचालय निर्माण किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता के इस शिकायत पर बिना हितग्राही के नाम जाने जांच किया जाना संभव नही है।

5. **टयूब्वेल खनन जो होना था वह नही हुआ है और मिली भगत से राशि आहरण कर लिया गया है**-- इसके संबंध में एक टयूब्वेल सरपंच सचिव द्वारा देवल्ला पारा मे दिखया गया जो कि निजी भूमि पर खनन किया गया है। और दुसरा टयूब्वेल रोड़ किनारे दिखाया गया, इन दोनो टूबवेल खनन के संबंध में सरपंच सचिव के द्वारा कोई भी दस्तावेज नही दिखाया गया।

6. **महात्मा गांधी नरेगा के तहत मृत लक्ष्मी नारायण जो कि 15 से 20 वर्ष पहले मृत्यु हो गया है उसका डबरी निर्माण और रोजगार सहायक सरपंच मिली भगत से पुरा राशि आहरण कर लिया गया है**– जिसके संबंध में निर्माण एजेसी द्वारा जो डबरी दिखाया गया उसमें लक्ष्मी नारायण के पोते मनोज गुप्ता के द्वारा यह बयान दिया गया कि उसके दादा (लक्ष्मी नारायण) की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व में हो चूकी है। (पोते के बायान का कॉपी संलग्न है)

- इससे यह स्पस्ट होता है कि निर्माण एजेसी द्वारा मृत्य व्यक्ति के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव देकर कार्य की स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2020–21 में ली गई।
- जांच के दौरान हमें लक्ष्मी नारायण आ0 रामप्रसाद (वर्क कोड – 3305012041/*IF*/1111491880) की डबरी की जगह कृष्ण बिहारी/नान्हू (वर्क कोड – 3305012041/*IF*/1111701804) की डबरी में ले जाया गया। जिसका जांच किए जाने पर यह ज्ञात हुआ कि डबरी कि लम्बाई 19मी0 चौ0 17मी0 तथा गहराई 1.50 मी है। जो कि प्राक्कलन अनुसार लम्बाई 32मी0 चौडाई 32मी0 एव गहराई 2.38मी0 होना चाहिए था, डबरी में मिट्टी खुदाई 19X17X1.5=484.5 घनमीटर होगी, जिसकी मूल्याकित राशि 131.80/ घनमीटर के दर से राशि रूपये 63,857.00 आएगा तथा मेट, पानी पिलाने वाले के लिए 11580.0 रूपये तथा कुल राशी 75437.00 रूपये का व्यय होगा।

सत्य प्रतिलिपि
Dy. Director Panchayat

(4)

- कृष्ण बिहारी / नान्हु (वर्क कोड – 3305012041 / *IF* / 1111701804) की डबरी जाँच मे स्पष्ट है की तकनिकी सहायक द्वारा 276349.00रू. का मूल्यांकन कर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा विचलन राशी 200912.00 रूपये का गबन कर लिया गया।
- लक्ष्मी नारायण आ0 रामप्रसाद (वर्क कोड – 3305012041 / *IF* / 1111491880) की डबरी, जिसमे शिकायत प्राप्त हुयी है, giotag फोटो से यह स्पष्ट है की डबरी निर्माण कार्य में 50000.00 से अधिक की राशी का कार्य नही हुआ होगा तथा सरपंच, सचिव के द्वारा फर्जी मास्टर रोल निकल कर मुल्यांकन तकनिकी सहायक से कराकर फर्जी भुगतान कराया गया है। शिकायत में जांच सत्य पाया गया है
- लक्ष्मी नारायण के डबरी निर्माण का माप पुस्तिका की जाँच से स्पष्ट है की तकनिकी सहायक द्वारा सभी डबरी का मुल्यांकन बिना स्थल पर जा कर बिना नाप लिए डबरी कार्य में निकले 7 से 8 सप्ताह के मस्टर रोल के मुल्यांकन 01 से 02 पेज में कर दिया गया है माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक के द्वारा सप्ताहिक निकले मस्टररोल का क्रमांक एवं दिनांक को दर्ज किये बिना एम0बी0 रिकार्ड कर दिया गया है जो कि नियमानुसार पूर्णतः गलत है

7. जांब कार्ड मेट मुंशी रखता है जो उन लोगो को ठेके पर चलाता है जो मजदूरी की जनसंख्या 400 है और बाकी मजदूरी की जनसंख्या को हटाये जाने के संबंध में– जिसका जांच किया गया जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा बताया गया कि पूर्व मे जितने मेट थे सबको मेट कार्य से हटा दिया गया है एवं वर्तमान में नये मेट रख कर कार्य कराया जा रहा है। (सरपंच का बयान कांपी संलग्न है) इसलिये शिकायत निराधार है।

निष्कर्ष:– प्रथम दृष्टया एवं जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर शिकयतकर्ता द्वारा किया गया शिकायत सत्य एवं सही पाया गया है, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, संबंधित तकनीकी सहायक श्री नवीन कुमार जायसवाल (कूप निर्माण) एवं श्री सुरेश सिंह (डबरी निर्माण) दोषी पाये गये है से राशि वसूली की कार्यावाही की जा सकती है।

संलग्न:–

1. नाली निर्माण कार्य के स्थल का फोटो ।
2. कूप निर्माण एवं डबरी निर्माण का फोटो एवं हितग्राही के कूप का बयान कांपी।
3. किसी अन्य मद से स्वीकृत 02 नग ट्यूबवेल खनन का फोटो।
4. तकनीकी सहायक द्वारा डबरी एवं कूप निर्माण का फर्जी मुल्यांकन किये गये माप पुस्तिका का फोटो कांपी।
5. मनरेगा पोर्टल से निकाले गये कूप निर्माण एवं डबरी निर्माण का जियो टैकिंग (*Before, During, After*) के बाद का फोटो।

अनुविभागीय अधिकारी ग्रा0यां0सेवा
उप संभाग भैयाथान

कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)
जनपद पंचायत भैयाथान

तकनीकी समन्वयक (मनरेगा)
जिला पंचायत सूरजपुर

सत्य प्रतिलिपि
Dy. Director Panchayat

Shot on OnePlus
Surajpur | 2025.05.29 16:05